राष्ट्रीय स्वा॰ ॰ ॰शन राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141-2223862, E mail ID : projectdirectorch@gmail.com

क्रमांकः एफ.7 ( )/एनएचएम/सी.एच/Poshan Abhiyan/2020/791 दिनांकः 10.9.20

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
उप/अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिले।

विषयः– भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान के अन्तर्गत माह सितम्बर में *"पोषण माह"* आयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान के अन्तर्गत गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी पोषण माह (सितम्बर माह) का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु पोषण एवं स्वास्थ्य जागरूकता सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित किये जाने है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार निम्नानुसार गतिविधी पर बल दिया जाना है–

पोषण माह के दौरान मुख्य रूप से अतिगम्भीर कुपोषित बच्चो की पहचान कर एमटीसी रेफर किया जाना है।

- जिला अस्पताल में ओपीडी में नियमित जाँच करवाने हेतु आने वाले चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चे व आईपीडी में उपचार हेतु शिशु वार्ड में भर्ती होने वाले 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अतिगम्भीर कुपोषण की स्क्रीनिंग (वजन, उँचाई/लम्बाई व एसयूऐसी टेप) करना सुनिश्चित करें। स्क्रीनिंग के दौरान यदि कोई भी बच्चा अतिगम्भीर कुपोषित बच्चा, जिसे किसी प्रकार की चिकित्सकीय जटिलता पाई जाती है, तो उस बच्चे को एमटीसी वार्ड में भर्ती कर उपचार किया जाना सुनिश्चित करें।

- आपके जिले में आयोजित MCHN Day पर आशा व एएनएम द्वारा सभी बच्चों की एमयूऐसी टेप द्वारा स्क्रीनिंग की जाए एवं 11.5 से.मी. से कम एमयूऐसी माप वाले अतिगम्भीर कुपोषित बच्चो को कुपोषण उपचार केन्द्र में रेफर करना सुनिश्चित करें व अन्य किसी मापदण्ड से भी अगर बच्चा अतिगम्भीर कुपोषण की श्रेणी में हो, उन बच्चो को भी कुपोषण उपचार केन्द्र रेफर किया जाना सुनिश्चित करें।

- पोषण माह के दौरान प्रत्येक मंच का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक कुपोषित बच्चो की पहचान कर निर्धारित दिशानिर्देशानुसार रेफर किया जाना है।

पोषण माह के दौरान मुख्य रूप से आयोजित की जाने वाली दूसरी गतिविधी स्तनपान को बढ़ावा दिया जाना है।

- बच्चो में छः माह तक **"केवल स्तनपान"** को बढावा देने के लिए जिला स्तर/ब्लॉक स्तर/सीएचसी/पीएचसी, सब सेन्टर तथा ग्राम स्तर पर पोषण माह के दौरान बढ़ावा दिया जाना है। जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य पोषण एवं स्वास्थ्य दिवस/ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं

स्वास्थ्य समिति/ग्राम पचायत म बैठक एव संगोष्ठि आयोजित की जाना है, जिसमे माँ के दूध की उपयोगिता के बारे में बतायें व आयोजन में इस तथ्य को उजागर करने हेतु निर्देशित करें कि **"माँ का दूध ही शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है"** जो नवजात शिशु को प्रथम 6 माह के लिए पौष्टिक आहार सम्बन्धी सभी आवश्यकतायें पूरी करता है।

- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति अथवा अन्य बैठक में पोषण माह के दौरान की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत चर्चा कर रणनीति बनाये, बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को भी सम्मिलित किया जावे।

- स्तनपान प्रोत्साहन एवं कुपोषण से बचाव हेतु जन–समुदाय में जागरूकता लाने के लिए सूचना शिक्षा, संचार माध्यमों, स्थानीय समाचार पत्रों, रेडियो के माध्यम से प्रचार – प्रसार करें।

- विभिन्न विभागो, सामुदायिक संगठनो एवं जन प्रतिनिधीयों के साथ बैठकों व गोष्ठियों का आयोजन किया जाये।

- जिला आशा समन्वयक, आशा सहयोगिनियों के माध्यम से पोषण माह का सफल संचालन सुनिश्चित करें।

- माँ कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर से मृद्रित करवाये गये **पोस्टर (5 प्रकार के), आशा ईन्फोकिट (2 प्रकार के) व एएनएम फ्लिप चार्ट** आपके जिलें में उपलब्ध है, जिला आईईसी समन्वयक उक्त पोस्टर को चिकित्सा संस्थानों (जिला अस्पताल, उप–जिला अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी, सब–सेन्टर) में लगवाया जाना सुनिश्चित करे।

- समस्त आशा सहयोगिनी द्वारा इस माह के दौरान अपने क्षेत्र की समस्त गर्भवती व धात्री महिलाओं की बैठक आयोजित की जाए तथा निम्न विषयों – नवजात को जन्म के एक घण्टे के भीतर स्तनपान (पहला पिला गाढ़ा दूध) कराना व शिशु को प्रथम 6 महीने सिर्फ मॉ के दूध के महत्व पर विस्तृत चर्चा की जाये एवं छः माह पूर्ण होने पर मां के दूध के साथ–साथ पूरक आहार दिया जाने के बारे में परामर्श देवें।

- पोषण माह के दौरान आयोजित होने वाले MCHN दिवस में सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को विशेष तौर पर गर्भावस्था की अन्तिम तिमाही में जन्म के तुरन्त बाद स्तनपान (एक घंटे के भीतर) करवाने हेतु सलाह/परामर्श दिया जाना सुनिश्चित करें। चिकित्सा संस्थान में प्रसव के उपरान्त जितना जल्दी हो सके स्तनपान प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करवायें। पीएनसी वार्ड में स्थानांतरित करने के पश्चात् माँ को लगातार स्तनपान करवाने के लिए प्रोत्साहित करें व आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

- चिकित्सा संस्थान स्तर पर प्रसव कक्ष में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ व यशोदा कार्यकर्ताओं के द्वारा शिशु को एक घंटे के भीतर माता की छाती से लगाकर स्तनपान (कॉलस्ट्रम) करवाए जिससे शिशु को स्तनपान के साथ–साथ गर्म रखे जाने के संबन्ध में निर्देश प्रदान करें। चिकित्सक यह सुनिश्चित करें की एक घंटे के भीतर स्तनपान (कॉलस्ट्रम) करवाया जाये, इसके पश्चात् ही माँ व शिशु को पीएनसी वार्ड (PNC ward) में स्थानांतरित किया जाये साथ ही इसकी सूचना भी संधारित करवाएं।

- पोषण माह के दौरान आयोजित होने वाली बैठकों में स्तनपान के साथ आईएमएस एक्ट के बारे में भी चर्चा की जावे। अन्तर्राष्टीय स्तनपान दूध विपणन विकल्प संहिता (इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटींग ऑफ ब्रैस्ट मिल्क सबस्टीट्यूट) के अनुसार स्तनपान विकल्पों, (डिब्बा, दूध पाउडर) चाहे निःशुल्क या कम लागत वाला विकल्प ही क्यों ना हो, के उत्पादों का स्वास्थ्य सुविधाओं (सरकारी व निजी अस्पतालों) में कोई बढावा नहीं दे।

- समस्त आशा सहयोगिनी द्वारा एचबीएनसी व एचबीवाईसी गृह भ्रमण के दौरान भी आवश्यक रूप से अपने क्षेत्र की समस्त धात्री महिलाओं के घर विजिट कर स्तनपान से सम्बन्धित परामर्श व सहयोग प्रदान करेगी।

- **स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस का आयोजन** VHSND के माध्यम से किशोर किशोरियों में पोषण सम्बन्धी जागरूकता, एनीमिया, संतुलित आहार व आहार विविधता आदि के बारे में जानकारी देना व किशोरी गर्भवतीयों को आवश्यक परामर्श प्रदान करना।

- पोषण विषय के लिए जन आंदोलन को बढ़ावा देने हेतु आशाओं द्वारा मुख्य संदेशों का निष्पादन।

- आईईसीः– प्रस्तावित गतिविधियों के बारे मे जागरूकता पैदा करने के लिए मास मिडिया व सोशल मिडिया के मंच का भी उचित उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

- *बैठक इत्यादि के दौरान कोविड–19 महामारी की सरकार द्वारा जारी सभी प्रोटोकॉल की पालना करना सुनिश्चित करें। (सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क, सेनेटाईजर आदि का उपयोग)*

- पोषण माह के दौरान विभाग द्वारा आयोजित गतिविधियों की निरन्तर रूप से जन आन्दोलन डैशबोर्ड पर एन्ट्री सुनिश्चित करे।

*उपरोक्त सभी गतिविधियों की रिपोर्टिंग हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जन आंदोलन का डेशबोर्ड (**http://poshanabhiyaan.gov.in**) तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से दैनिक रिपोर्टिंग मय फोटो (**Maximum 2 MB Size**) भारत सरकार की पोषण अभियान की विभागीय वेबसाईट* **http://poshanabhiyaan.gov.in** *के जन आंदोलन डेशबोर्ड परअपलोड किया जाना है।*

नोटः– डाटा ऐन्ट्री में किसी प्रकार की सहायता हेतु मॉड्यूलस् एवं विडियों वेबसाईट पर उपलब्ध है।

संलग्नः– पोषण माह के तहत निर्धारित जिम्मेदारियां।

मिशन निदेशक, एनएचएम
एवं विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.

क्रमांकः एफ.7 ( )/एनएचएम/सी.एच/Poshan Abhiyan/2020/791 दिनांकः 10.9.20

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क्र. विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मिशन निदशक, एनएचएम व विशिष्ट शासन सचिव, चि. स्वा. एवं पक राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. निजी सहायक, निदेशक– आईसीडीएस।
6. निजी सहायक, जिला कलक्टर– समस्त जिले।
7. निजी सहायक– निदेशक, आरसीएच।
8. अतिरिक्त निदेशक– आरसीएच।
9. परियोजना निदेशक– शिशु स्वास्थ्य/आरबीएसके।
10. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक– एनएचएम।
11. राज्य नोडल ऑफिसर– एनयूएचएम।
12. संयुक्त निदेशक– समस्त जोन।
13. डीडी आईसीडीएस– समस्त जिले।
14. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी– समस्त जिला अस्पताल।
15. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक– समस्त जिले।
16. जिला लेखा प्रबन्धक– समस्त जिले।
17. जिला आईईसी समन्वयक– समस्त जिले।
18. हैल्थ मैनेजर– समस्त जिले।
19. जिला आशा समन्वयक– समस्त जिले।
20. अरबन प्रोग्राम मैनेजर– समस्त जिले।
21. ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर– समस्त ब्लॉक।
22. सम्बन्धित को सूचनार्थ।
23. सर्वर रूम।

निदेशक, आर.सी.एच.
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.
राजस्थान, जयपुर

पोषण माह के तहत निधारित जिम्मेदारियां:-

- **मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप/अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व जिला प्रजनन् एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी:-** पोषण माह के दौरान सभी गतिविधियों का आयोजन आपके निर्देशन में किया जाना है। अतः आपके अन्तर्गत आने वाले सभी कार्मिको को नियमानुसार गतिविधियों की जिम्मेदारियां सौंप कर अधिक से अधिक आयोजित होने वाली गतिविधियों की फॉटो पोर्टल में अपलोड करवाए।
- **प्रमुख चिकित्सा अधिकारी:-** जिला अस्पताल व उप जिला अस्पताल में आयोजित होने वाली पोषण से सम्बन्धित गतिविधियों का आयोजन आपके निर्देशन में किया जाना सुनिश्चित करें।
- **ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी:-** ब्लॉक स्तर पर सभी गतिविधियों का आयोजन आपके निर्देशन में होगा। बीपीएम, बीएएफ, आशा सुपरवाईजर व आपके अधिन आने वाले सभी कार्मिकों को नियमानुसार गतिविधियों की जिम्मेदारियां सौंप कर अधिक से अधिक गतिविधियां आयोजित करा, फॉटो/एन्ट्रीज् पोर्टल में अपलोड करवाए।
- **हैल्थ मैनेजर:-** जिला अस्पताल में पदस्थापित सभी कॉउन्सलर द्वारा आने वाले सभी लाभार्थियों को पोषण माह की 2 मुख्य गतिविधियां (**अतिगम्भीर कुपोषित बच्चो की पहचान कर एमटीसी रेफर व स्तनपान को बढ़ावा**) पर चर्चा करना व आपके द्वारा उक्त सभी गतिविधियों की फॉटो पॉर्टल में अपलोडिंग सुनिश्चित करना।
- **जिला आशा समन्वयक:-** आशाओं द्वारा की जाने वाली विजिट के दौरान आयोजित की जाने वाली दोनों गतिविधियों का सुचारू संचालन व ब्लॉक आशा फेसिलिटेटर व आशा सुपरवाईजर द्वारा भी अभियान के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियों का आयोजन व सुचारू संचालन करना। अतः पीएचसी व ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली गतिविधियों की पॉर्टल में फॉटो अपलोडिंग की जिम्मेदारी आशा सुपरवाईजर, ब्लॉक आशा फेसिलिटेटर के माध्यम से करवाने की जिला आशा समन्वयक की होगी।
- **जिला आईईसी समन्वयक:-** जिला स्तर पर होने वाली सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों जैसेः मिटिंगस्, कार्यशाला, प्रशिक्षण, सम्मेलन इत्यादि में पोषण अभियान के समस्त घटकों से सम्बन्धित सभी गतिविधियों की फॉटो पॉर्टल में अपलोडिंग सुनिश्चित करना। साथ ही टवीट्र, फेसबुक आदि सोशल मिडिया के माध्यम से गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करना।
- **अरबन हैल्थ प्लानिंग कंसल्टेन्ट:-** पीएचसी पर पदस्थापित पीएचएम द्वारा आउट रीच कैम्पस्, मास मिटिंगस्, यूएचएनडी के आयोजन के दौरान कुपोषण एवं स्तनपान के समस्त घटकों पर चर्चा करना। अतः पीएचसी पर पीएचएम के माध्यम से पोर्टल में फॉटो अपलोड करवाने की जिम्मेदारी अरबन हैल्थ प्लानिंग कंसल्टेन्ट होगी। अरबन क्षेत्र में आयोजित होने वाली सभी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की फॉटो अपलोड करने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

डॉ. प्रदीप कु. चौधरी
उ. मि. अधिकारी
(शिशु स्वास्थ्य)

- **आरबीएसके नोडल ऑफिसरः–** जिला आरबीएसके टीम द्वारा आतेगम्भीर कुपोषित बच्चो की पहचान कर एमटीसी रेफर किया जाना है।
- **समस्त कॉन्उसलर (आरकेएसके, एनसीडी, आरएमएनसीएच्एए, साइकोलॉजिस्ट व एचआईवी):–** जिला व सीएचसी स्तर पर आने वाले सभी लाभार्थियों को "पोषण माह" के दोनों मुख्य गतिविधियों पर चर्चा कर लाभार्थियों की संख्या के साथ उक्त गतिविधी की फॉटो पॉर्टल में हैल्थ मैनेजर के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अपलोडिंग सुनिश्चित करे।
- **जिला कार्यक्रम प्रबन्धकः–** पोषण माह के अन्तर्गत सभी गतिविधियों के सुचारू संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में आपकी होगी व सुनिश्चित करें कि पोषण माह में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत होने वाली सभी गतिविधियों के दौरान मुख्य रूप से पोषण अभियान के समस्त घटकों (स्तनपान, सम्पूरक आहार, पूरक आहार, एएनसी, सुक्ष्म पोषक तत्व, स्वच्छता व साफ–सफाई व कुपोषित बच्चों की पहचान एवं रेफरल इत्यादि) पर चर्चा की जाए व सभी गतिविधियों की अधिक से अधिक से फॉटो लाभार्थियों की संख्या के साथ गतिविधी के नाम के साथ पॉर्टल में अपलोडिंग की सुनिश्चित की जाए।

पोषण माह के अन्त में उच्चाधिकारियों द्वारा पोषण माह के दौरान की गई गतिविधियों की समीक्षा की जायेगी। अतः जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक भुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अधिक से अधिक गतिविधियों का आयोजन करा, उक्त की रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर/पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें।

*उपरोक्त सभी गतिविधियों की रिपोर्टिंग हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जन आंदोलन का डेशबोर्ड (**http://poshanabhiyaan.gov.in**) तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से दैनिक रिपोर्टिंग मय फोटो (**Maximum 2 MB Size**) भारत सरकार की पोषण माह की विभागीय वेबसाईट **http://poshanabhiyaan.gov.in** के जन आंदोलन डेशबोर्ड पर अपलोड किया जाना है।*

- *डाटा ऐन्ट्री में किसी प्रकार की सहायता हेतु मॉड्यूलस् एवं विडियों वेबसाईट पर उपलब्ध है।*
- *खण्ड स्तरीय एवं जिला स्तरीय आईडी एवं पासवर्ड प्रथक से ई–मेल आईडी **pd-ch-rj@gov.in** द्वारा भिजवाए जा रहे है।*